A15

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

सीलिंग शिकायत प्रार्थना पत्र सं0 05/12

बलदेवसिंह पुत्र सरदारासिंह जाति जटसिख निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर।

शिकायतकर्ता

बनाम

1. गुरतेजसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह
2. परमजीतकौर पतनी गुरतेजसिंह
3. समरवीरसिंह पुत्र गुरतेजसिंह
4. कर्णवीरसिंह पुत्र गुरतेजसिंह
5. निहालकौर पत्नी मुख्त्यारसिंह
6. तहसीलदार, रायसिंहनगर।

अकवाम जटसिख सकनाए 25 पी एस तहसील रायसिंहनगर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित : श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, शिकायतकर्ता
श्री बलविन्द्रसिंह बराड़, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण
राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

आदेश

दिनांक : 10-3-17

प्रार्थी–शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण गॉव 25 पी0एस0 में स्थाई निवास करते हैं। सभी अप्रार्थीगण के पास चक 25 पी0एस0 एवं 1 आई डब्ल्यू यू एम तहसील रायसिंहनगर में करीब 155.17 बीघा आराजी भिन्न–2 खातों में है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं	खातेदार का नाम	चक	मु0नं0	कुल आराजी
1	निहाल कौर पत्नी मुखत्यारसिंह	1 IWUM	6,9,24	8.311
2	कलवन्त सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह	1 IWUM	21	1.265
3	कलवन्त सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह	1 IWUM	21	1.265
4	समरवीर सिंह पुत्र गुरतेज सिंह	1 IWUM	9	1.645
5	परमवीर कौर पत्नी गुरतेज सिंह	1 IWUM	21	2.024
6	कर्णवीर सिंह पुत्र गुरतेज सिंह	1 IWUM	7,8	7.337
7	गुरतेज सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह	25 पीएस	21,22	10.626
8	समर सिंह पुत्र गुरतेज सिंह	25 पीएस	2, 13	3.226
9	निहाल कौर पत्नी मुख्त्यार सिंह	25 पीएस–बी	8	3.891
	योग			155.17

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

A15
2

अप्रार्थी संख्या 1 ने 1 आई डब्ल्यू एम उम्मेदराम व देवला पिसरान तेजाराम जाति मेघवाल के नाम से 4½ मुरब्बा भूमि आवंटित करवा रखी है, जिसमें से 2 मुरब्बे आराजी का बेचान 60.00 लाख रूपये में किया गया है। उक्त राशि में से प्रत्येक हरिजन को केवल एक एक लाख रूपये का भुगतान किया गया हैं शेष 2½ हरिजन के नाम से है लेकिन कब्जा अप्रार्थी संख्या 01 का है। अप्रार्थीगण के पास भूमि सीलिंग सीमा से अधिक है। इस प्रकार निवेदन किया है कि जांच की जाकर भार रहित आराजी का अधिग्रहण राजहित में किया जावे।

शिकायत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जांच हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया है।

अप्रार्थीगण सं0 1 से 5 की ओर से शिकायत प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 15–6–16 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें कथन किया गया कि भूमि के संबंध में स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है तथा न ही राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की गई हैं। चक 1 आई डब्ल्यू वी एम के 4,1/2 मुरब्बे बेचान के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अप्रार्थी ने दो हरीजन उम्मेदराम व देवला के नाम से भूमि आवंटन करवाने व उसमें से दो मुरब्बों का बेचान करने व शेष रकबा अप्रार्थी के पास होने का कथन किया गया है, लेकिन इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य एवं शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा झूठी शिकायत रंजिशवश की गई है। सीलिंग प्रकरण सीलिंग कानून के अन्तर्गत शासन द्वारा धारा 15(1) व धारा 15(2) के अन्तर्गत मियाद में खोला जा सकता है। मियाद की अवधि पूर्ण हो चुकी है। अप्रार्थी द्वारा सीलिंग कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत कृषि भूमि के संबंध में घोषणा पत्र दाखिल किया गया था, जो बाद जॉच सीलिंग सीमा से कम भूमि पाये जाने के कारण कार्यवाही ड्रोप कर दी गई थी। इस प्रकार निवेदन किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा मिथ्या, तथ्यों से परे, रंजिशवश शिकायत की गई है, जो भारी कोस्ट के साथ खारिज फरमाई जावे।

शिकायत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसील से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार, रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक 2506 दिनांक 09.06.2016 द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा धारण की जाने वाली भूमि की निम्नानुसार रिपोर्ट प्रेषित की हैं : –

(1) दिनांक 25–2–58, 1–12–59 को भूमिधारी गुरतेजसिंह के धारण में कोई भूमि नहीं थी।

(2) दिनांक 25–2–58, 1–12–59 को दादा अर्जनसिंह, पिता मुखत्यारसिंह एवं माता निहालकौर के धारण में कुल 39–10 बीघा नहरी भूमि थी।

(3) दिनांक 1–4–66 को भूमिधारी गुरतेजसिंह व उसके भाई बलतेजसिंह के धारण में कोई भूमि नहीं थी बल्कि दादा अर्जनसिंह, पिता मुखत्यार सिंह एवं माता निहालकौर के धारण में कुल 39–10 बीघा नहरी भूमि थी।

(4) दिनांक 1–9–70 को भूमिधारी गुरतेजसिंह के धारण में 27–00 बीघा, भाई बलतेजसिंह के धारण में 27–00 बीघा भूमि थी एवं दादा अर्जनसिंह के धारण में 3.10 बीघा, पिता मुखत्यारसिंह के धारण में 1. 02 एवं माता निहालकौर के धारण में 18.00 बीघा नहरी भूमि थी।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

A15
3

(5) दिनांक 1.1.73 को दादा अर्जनसिंह ने अपने धारण की 3.10 बीघा भूमि दो भागों में समानान्तर 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि अपने पुत्र जसवन्तसिंह व 1बीघा 15 बिस्वा अपने दूसरे पुत्र मुखत्यारसिंह को विरासतन दे दी।

(6) दिनांक 1.1.73 को भूमिधारी गुरतेजसिंह व उसके भाई बलतेजसिंह के धारण में 27–27 बीघा भूमि थी। माता के नाम 18 बीघा भूमि थी। माता की भूमि में से 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि बलतेजसिंह को व 2बीघा भूमि गुरतेजसिंह को दे दी। पिता मुखत्यारसिंह द्वारा दिनांक 1–1–73 के बाद 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि जसवन्तसिंह से खरीद कर ली। वर्तमान में अप्रार्थी के धारण में चक 25 पी0एस0 में 10.626 है0, पुत्र के नाम 3.226 है0, माता के नाम 3.891 है0, (जिसमें से 2.851 है0 नगरपालिका के नाम है), भाभी के नाम 3.921 है0 एवं भतीजी के नाम 3.922 है0 भूमि है।

उक्त तहसील रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 1–4–66 व 1–1–73 को परिवार के सदस्यों की आयु निम्नानुसार बताई गई है :–

क्र.सं	नाम	संबंध	आयु	
			01.04.1966	01.01.1973
1	अर्जन सिह	दादा	62 वर्ष	फौत
2	मुख्त्यार सिंह	पिता	38 वर्ष	43 वर्ष
3	निहाल कौर	माता	37 वर्ष	42 वर्ष
4	बलतेज सिंह	भाई	18 वर्ष	26 वर्ष
5	गुरतेज सिंह	स्वयं	16 वर्ष	22 वर्ष
6	भूपेन्द्र कौर	बहन	17 वर्ष	23 वर्ष
7	मनप्रीत कौर	भाभी	–	24 वर्ष

उभय पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का रेकार्ड पर लिया गया। साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि अप्रार्थी गुरतेजसिंह भूमिधारी व उसके परिवार के पास लगभग 210 बीघा कृषि भूमि है। अप्रार्थी अधिकतम 72 बीघा भूमि धारण कर सकता है। शेष भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण बहक सरकार अधिग्रहण की जानी चाहिये।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि प्रार्थी शिकायतकर्ता आदतन शिकायती प्रवृति का व्यक्ति है। कई बार पूर्व में भी अप्रार्थीगण की शिकायत की गई है। पूर्व में शिकायत प्रकरण सं0 5/07 में सीलिंग शिकायत की जॉच की जाकर दिनांक 18–12–07 को प्रकरण में कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। इस आदेश के विरूद्व किसी न्यायालय में कोई अपील अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की गई है। अप्रार्थी गुरतेतसिंह व अन्य के विरूद्व धारा 420 व अन्य धाराओं में जरिये परिवाद मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें बाद जॉच पुलिस द्वारा मिथ्या मानते हुए प्रकरण में एफ आर लगा दी थी। गुरतेजसिंह प्रार्थी द्वारा भी पप्पीसिंह पुत्र जीतसिंह के खिलाफ 448–427–34 आईपीसी में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जो बाद जॉच न्यायालय में चालान पेश किया गया। बहस में आगे कहा है कि अप्रार्थी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

A 15/4

द्वारा अपनी कृषि भूमि के संबंध में घोषणा पत्र भरा गया था, जिसके सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में मुकद्दमा नम्बर 159/72 दर्ज हुआ था। न्यायालय द्वारा बाद जांच घोषणाकर्त्ता मुख्त्यार सिंह व जसवन्त सिंह पिसरान अर्जुन सिंह के विरूद्ध सीलिंग सीमा से भूमि कम होने के कारण अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त कर दी थी। उक्त आदेश के विरूद्ध अन्य कोई विधिक कार्यवाही नहीं होने से उक्त आदेश अन्तिम हो चुका है। अंत में निवेदन किया है कि शिकायत झूठी, तथ्यों से परें एवं रंजिशवश की गई है। शिकायत प्रार्थना पत्र भारी कॉस्ट के साथ खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अप्रार्थीगण के पास भूमि सीलिंग सीमा से अधिक है। अतः भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण अधिग्रहण किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब, दस्तावेजी साक्ष्य एवं शिकायतकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया गया।

<u>जहां तक पुराने सीलिंग कानून</u> की धारा 15(2) के अन्तर्गत निर्धारित दिनांक 01.04.1966 की स्थिति का प्रश्न है, दिनांक 25.02.1958, 01.12.1959, एवं 01.04.1966 को अप्रार्थी गुरतेज सिंह व उसके परिवार में कोई कृषि भूमि नहीं थी। उक्त तारीखों में अप्रार्थी गुरतेज सिंह के दादा, पिता एवं माता के धारण में कुल 39 बीघा 10 बिस्वा नहरी कृषि भूमि थी तथा तहसील रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी गुरतेज सिंह की आयु 01.04.1966 को 16 वर्ष अंकित की गई है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी गुरतेज सिंह के खिलाफ सीलिंग कानून की धारा 15(2) के अन्तर्गत कोई प्रकरण नहीं बनता है।

<u>जहां तक नए सीलिंग कानून</u> की धारा 15(1) के अन्तर्गत निर्धारित दिनांक 01.09.1970, 01.01.1973 की स्थिति का प्रश्न है, तहसील रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 01.09.1970 एवं 01.01.1973 को अप्रार्थी भूमिधारी के धारण में 27 बीघा भूमि, माता के धारण में 18 बीघा भूमि, पिता के धारण में 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि अंकित की गई है। पिता मुख्त्यार सिह द्वारा दिनांक 01.011973 के बाद 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि अपने भाई जसवंत सिंह से खरीदी की गई है। इस प्रकार मुख्त्यार सिह के धारण में 11.13 + 1.02 = 12.15 बीघा भूमि रही। मुख्त्यार सिंह के दो पुत्र बलतेज सिंह व अप्रार्थी गुरतेज सिंह है, जिनमें दोनों का बराबर बराबर हिस्सा होने से अप्रार्थी गुरतेज सिंह को अपने पिता से 6 बीघा 7½ बिस्वा भूमि और प्राप्त हुई। इस प्रकार माता निहाल कौर के धारण में उक्त तिथियों को कुल 18 बीघा भूमि थी, जिसमें से 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि बलतेज सिंह को दे दी गई तथा 2 बीघा भूमि अप्रार्थी गुरतेज सिंह को दे दी गई। इस प्रकार माता के धारण में 18.00 −5.5 = 12.15 बीघा भूमि शेष रही, जिसमें अप्रार्थी एवं उसके भाई का बहिस्सा बराबर होने से प्रत्येक के हिस्से में 6 बीघा 7½ बिस्वा भूमि रहती है। इस प्रकार अप्रार्थी गुरतेज सिंह के हिस्से में कुल निम्नानुसार भूमि 01.09.1970 एवं 01.01.1973 को धारण में रही।

1.	स्वयं के धारण में	_	27 बीघा
2.	पिता से प्राप्त	_	6 बीघा 7½ बिस्वा
3	माता से प्राप्त	_	8 बीघा 7½ बिस्वा
	कुल	_	**41 बीघा 15 बिस्वा भूमि**

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

A75/6

नए सीलिंग कानून की धारा 4 के अनुसार 100 प्रतिशत सिंचाई के घनत्व के आधार पर 5 सदस्यों का परिवार 43 बीघा 4 बिस्वा भूमि धारण करने का अधिकारी है। हस्तगत शिकायत प्रकरण में 100 प्रतिशत assured irrgation भी मान ली जाए तो भी अप्रार्थी 5 सदस्यों के परिवार के लिए 43 बीघा 4 बिस्वा भूमि धारण करने का अधिकारी था जबकि नए सीलिंग कानून की धारा 15(1) के तहत निर्धारित दिनांक 01.01.1973 को उसके धारण में सीलिंग सीमा से कम भूमि थी।

<u>वर्तमान स्थिति :</u>

शिकायतकर्ता के अधिवक्ता द्वारा जो फार्म नं0 3 के साथ दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है, उसमें पंजाब में जो भूमि बताई गई है, वह भूमिधारी गुरतेजसिंह के नाम से नहीं है। अन्य जो भूमि चक 25 पी एस एवं 25 पीएस (बी) में बताई गई है, उसके संबंध में तहसील रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

तहसील रिपोर्ट के अनुसार चक 25 पीएस बी में अप्रार्थी स्वयं के धारण में 10.626 हैक्टेयर, माता के धारण में 1.040 हैक्टेयर एवं पुत्र के धारण में 3.226 हैक्टेयर भूमि दिनांक 01.01.1973 के बाद वर्तमान में धारित भूमि विरास्तन/खरीद से प्राप्त कुल भूमि 14.892 हैक्टेयर भूमि यानि 59 बीघा 12 बिस्वा भूमि भूमिधारी गुरतेजसिंह के धारण में है।

उपरोक्त भूमि के अलावा वकील शिकायतकर्ता द्वारा फार्म नं0 3 के साथ जो चक 1 आई डब्ल्यू एम की जमाबंदियों की प्रतियॉ पेश की गई हैं, उसके अनुसार भूमिधारी गुरतेजसिंह के पुत्र कर्णवीरसिंह के नाम प0 सं0 211/345 मु0 नं0 7 की 16.00 बीघा, प0 सं0 212/345 मु0 नं0 8 की 13.00 बीघा कुल 29–00 बीघा भूमि, पुत्र समरसिंह के नाम प0 सं0 213/345 मु0 नं0 9 की 7–00 बीघा, भूमिधारी की पत्नी परमजीतकौर के नाम प0 सं0 213/346 मु0 नं0 21 की 8–00 बीघा एवं माता निहाल कौर के नाम प0 सं0 210/345 मु0 नं0 6 की 25–00 बीघा, प0 नं0 213/345 मु0 नं0 9 की 2–00 बीघा, प0 नं0 210/346 मु0 नं0 24 की 7–00(माता निहाल कौर की 34 बीघा में से 1/2 हिस्सा यानि 17–00 बीघा भूमिधारी गुरतेजसिंह का है) इस प्रकार गुरतेजसिंह के पास परिवार सहित, माता की भूमि शामिल करते हुए चक 1 आई डब्ल्यू एम की 29 + 7 + 8 + 17 = 61 बीघा बनती है। इस प्रकार चक 25 पीएस की 59.12 बीघा व चक 1 आई डब्ल्यू एम की 61.00 बीघा भूमि कुल 120.12 बीघा भूमि बनती है।

यहां इस तथ्य का उल्लेख करना न्यायोचित प्रतीत होता है कि भाभी व भतीजी की भूमि अप्रार्थी भूमिधारी के साथ क्लब कर सीलिंग सीमा हेतु गणना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार वर्तमान में अप्रार्थी द्वारा धारित भूमि उक्त दोनों चकों 120 बीघा 12 बिस्वा की सीलिंग स्थिति की गणना का आंकलन करने पर वर्तमान में अप्रार्थी के दो बालिग पुत्रों के लिए अप्रार्थी दो अतिरिक्त यूनिट की सीमा तक भूमि धारण करने का नए सीलिंग कानून की धारा 4(2) के अनुसार पात्र है। इस प्रकार अप्रार्थी स्वयं के लिए एवं अपने दो बालिग पुत्रों के लिए कुल तीन यूनिट की सीमा तक 100 प्रतिशत सिंचाई के घनत्व वाली कुल 129 बीघा 12 बिस्वा भूमि धारण करने का अधिकारी है। जबकि वर्तमान में अप्रार्थी के धारण में कुल 120 बीघा 12 बिस्वा भूमि बनती है, जो सीलिंग सीमा से कम है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

A15
6

अप्रार्थी के पिता मुख्त्यार सिंह व चाचा जसवंत सिंह के खिलाफ सीलिंग प्रकरण संख्या 159/72 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर में दर्ज हुआ था, जिसमें घोषणा पत्र दाखिल होने पर बाद जांच उपखण्ड अधिकारी द्वारा सीलिंग से कम भूमि होना मानकर अप्रार्थी भूमिधारी के पिता व चाचा जसवंत सिंह के खिलाफ अधिग्रहण की कार्यवाही दिनांक 26.04.1972 को समाप्त कर दी गई थी। उक्त आदेश को शासन द्वारा रि–ओपन किया गया हो, ऐसी सारवान दस्तावेजी साक्ष्य शिकायतकर्त्ता द्वारा पेश नहीं की गई है। इसलिए उक्त आदेश वर्तमान में अंतिम हो चुका है।

अप्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में भी जो शिकायत, शिकायतकर्त्ता गुरमीत सिंह द्वारा की गई थी, उसमें भी बाद जांच अप्रार्थी भूमिधारी के विरूद्ध शिकायत सारहीन पाए जाने से दिनांक 18.12.2007 को कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। वकील प्रार्थी द्वारा जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गए है वह पूर्व में भी उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1070 दिनांक 21.07.2007 के साथ प्रेषित की गई थी (जो जांच प्रकरण संख्या 05/2007 में संलग्न है।) शिकायतकर्ता ने चक 11 डब्ल्यू वी एम के 4,1/2 मुरब्बे बेचान के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। अप्रार्थी ने दो हरीजन उम्मेदराम व देवला के नाम से भूमि आवंटन करवाने व उसमें से दो मुरब्बों का बेचान करने व शेष रकबा अप्रार्थी के पास होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य एवं शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी भूमिधारी गुरतेजसिंह के धारण में पुराने सीलिंग कानून में निर्धारित दिनांक 1–4–66 को कोई भूमि नहीं थी तथा नये सीलिंग कानून में निर्धारित दिनांक 1–1–73 एवं वर्तमान में धारित भूमि सीलिंग सीमा से कम होना पाई गई है। पूर्व में भी अप्रार्थी भूमिधारी गुरतेजसिंह के खिलाफ हुई सीलिंग शिकायत को दिनांक 18–12–2007 को न्यायालय द्वारा ड्रोप किया जा चुका है। अन्य तथ्य जो शिकायत में वर्णित किये हैं, उनके संबंध में कोई सारवान दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत सारहीन होने व अप्रार्थी के धारण में सीलिंग सीमा से कम भूमि होने के कारण, अप्रार्थी के खिलाफ सीलिंग शिकायत ड्रोप की जाती है।

आदेश आज दिनांक 10–03–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/3/17

(करतारसिंह पूनिया)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner